



## मुख्यालय "गोरा देवी पर्यावरण भवन" उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46 वी, आई टी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)  
Web: [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

**Nagar Nigam, Rishikesh द्वारा "Development of Scientific Land Fill Site" at Lalpani Beet no.- 1, Rishikesh, Distt- Dehradun हेतु** प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रधिकरण (SEIAA), उत्तराखण्ड द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं। जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई. आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद, देहरादून या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46वी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-115, नेहरू कालोनी, देहरादून; कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून; कार्यालय जिला पंचायत, देहरादून, नगर निगम, ऋषिकेश, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

**M/s Nagar Nigam, Rishikesh द्वारा "Development of Scientific Land Fill Site" at Lalpani Beet no.- 1, Rishikesh, Distt-Dehradun** की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई दिनांक 08.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-115, नेहरू कालोनी, देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्रांक - यू.ए.पी.सी.बी./एचओ/NOC-7404/20/1283 दिनांक 06.01.2021

सदस्य सचिव

orbett. The tigress was located in a move aimed at shifting the western Rajaji with a

mortality reduced from 101 deaths in 2018 to 96 deaths in 2019 and thereafter marginally increased to 106 fatalities in 2020." Experts say proper enforcement